

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052024-254026 CG-DL-E-03052024-254026

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई $2,202\overline{4/}$ वैशाख $12,\overline{1946}$

No. 310]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 29, 2024/VAISAKHA 9, 1946

आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 2024

एफ.नं.एल-12015/25/2021-एएस-पीटी.1.सी.—आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 (2020 का 16) की धारा 28 की उपधारा (1) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान-स्वस्थवृत्त और संबद्घ विज्ञान कार्यक्रम विनियम 2024 कहा जाएगा।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ- इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
- (क) "आवेदक" का आशय उस व्यक्ति से है जो स्वस्थवृत्त विभाग द्वारा निर्धारित तरीके से संचालित एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, में प्रवेश के लिए आवेदन करता है।
- (ख) "परीक्षा नियंत्रक (सीओई)" से आशय संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा से नियंत्रक होगा।
- (ग) "प्रवेश की तिथि" से आशय विभाग के संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश हेतु शुल्क के भुगतान की तिथि से है।
- (घ) "परीक्षक" से आशय एक ऐसे व्यक्ति से है जो एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम, जैसा भी मामला हो, की परीक्षा लेने के लिए पात्र हो।

2854 GI/2024

- (ङ) "एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा" से आशय संस्थान द्वारा निम्नलिखित विषयों में इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया स्नातकोत्तर डिप्लोमा है जिनके नाम इस प्रकार हैं :-
- i. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन योग थेरेपी (ई.डी.वाई.टी.)
- ii. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन नेचरल क्योर (ई.डी.एन.सी.)
- iii. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी (ई.डी.सी.ए.टी.)
- iv. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स (ई.डी.ए.एन.डी.)
- v. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन (ई.डी.डब्ल्यू.आर.)
- vi. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन मेंटल हैल्थ एंड साइकोथेरेपी (ई.डी.एम.एच.पी.)
- (च) "एचओडी, स्वस्थवृत्त" से आशय विभागाध्यक्ष, स्वस्थवृत्त, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान से है।
- (छ) "पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा" से आशय संस्थान द्वारा निम्नलिखित विषयों में इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया गया स्नातकोत्तर डिप्लोमा डिप्लोमा है जिनके नाम इस प्रकार हैं:
- i. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग एज्युकेशन (पी.जी.डी.वाई.एड.)
- ii. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेचरल थेराप्यूटिक्स (पी.जी.डी.एन.टी.)
- iii. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिएटिव आर्ट थेराप्यूटिक्स (पी.जी.डी.सी.ए.टी.)
- iv. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आयुर्वेद आहार (पी.जी.डी.ए.ए.)
- (ज) "कार्यक्रम समन्वयक" से आशय संबंधित कार्यक्रम का समन्वय करने वाले आईटीआरए के एक शिक्षण फैकल्टी से है।
- (i) "छात्र" से आशय उस व्यक्ति से है जिसे इन नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में स्वस्थवृत्त विभाग द्वारा संचालित एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया है।
- (झ) "कार्यक्रम की अवधि" से आशय उस न्यूनतम अवधि से है जिसके लिए एक छात्र को संबंधित कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण घोषित होने तक संस्थान और विभाग में उपस्थित रहना होगा।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।
- **3. प्रवेश-** (1) पात्रता- स्वस्थवृत्त विभाग, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं इस प्रकार हैं-
- i. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन योग थेरेपी (ई.डी.वाई.टी.)- किसी भी चिकित्सा संकाय से स्नातक [बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (बी.एन.वाई.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एस.एम.एस.), बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.), बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.), बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)] अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से योग थेरेपी में मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) या मास्टर ऑफ आट्स (एम.ए.) की उपाधि धारण करता हो।
- ii. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन नेचरल क्योर (ई.डी.एन.सी.)- किसी भी चिकित्सा संकाय से स्नातक [बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (बी.एन.वाई.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एस.एम.एस.), बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.), बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.), बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)] अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि धारण करता हो।
- iii. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी (ई.डी.सी.ए.टी.)- किसी भी चिकित्सा संकाय से स्नातक [बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (बी.एन.वाई.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एस.एम.एस.), बैचलर

ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.), बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.), बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)] के साथ विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से क्रिएटिव आर्ट्स के किसी भी क्षेत्र में डिप्लोमा या डिग्री अथवा क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी में मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) या मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि धारण करता हो।

iv. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स (ई.डी.ए.एन.डी.)- किसी भी चिकित्सा संकाय से स्नातक [बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (बी.एन.वाई.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एस.एम.एस.), बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.), बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.), बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)] अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) (डायटेटिक्स) या मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) (फूड एंड न्यूट्रीशन) की उपाधि धारण करता हो।

v. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन (ई.डी.डब्ल्यू.आर.)- किसी भी चिकित्सा संकाय से स्नातक [बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (बी.एन.वाई.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एस.एम.एस.), बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.), बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.), बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)] अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि धारण करता हो।

vi. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन मेंटल हैल्थ एंड साइकोथेरेपी (ई.डी.एम.एच.पी.)- किसी भी चिकित्सा संकाय से स्नातक [बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.), बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज (बी.एन.वाई.एस.), बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.यू.एम.एस.), बैचलर ऑफ सिद्ध मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.एस.एम.एस.), बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.), बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (बी.डी.एस.), बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)] अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष उपाधि धारण करता हो।

vii. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग एज्युकेशन (पी.जी.डी.वाई. एड.)- विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा क्षेत्र के अलावा किसी भी संकाय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो।

viii. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेचरल थेराप्यूटिक्स (पी.जी.डी.एन.टी.)- विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा क्षेत्र के अलावा किसी भी संकाय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो।

ix. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिएटिव आर्ट थेराप्यूटिक्स (पी.जी.डी.सी.ए.टी.)-विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रदर्शनीय या रचनात्मक कला के किसी भी क्षेत्र से स्नातक अथवा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा के क्षेत्र के अलावा किसी भी संकाय से स्नातक के साथ प्रदर्शनीय या रचनात्मक कला के किसी भी क्षेत्र में न्यूनतम 03 वर्ष का डिप्लोमा या प्रशिक्षण।

- x. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आयुर्वेद आहार (पी.जी.डी.ए.ए.)- विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संबंधित वैधानिक निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सा क्षेत्र के अलावा किसी भी संकाय से स्नातक या समकक्ष उपाधि धारण करता हो।
- (2) विदेशी नागरिकों के लिए पात्रता किसी भी एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विदेशी नागरिकों के लिए पात्रता अर्हता, जैसा भी मामला हो, भारतीय नागरिकों के लिए लागू नियमों के समान या समकक्ष होगी जैसा कि यहां उक्त संबंधित कार्यक्रमों के तहत उल्लिखित है।
- (3) प्रवेश की तिथि- (i) संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश वर्ष में एक बार सामान्यत: जुलाई से सितंबर के बीच दिया जाएगा। हालाँकि, किसी भी आवेदक को प्रवेश देने की अंतिम तिथि दिए गए वर्ष की 30 सितंबर होगी।

- (ii) पर्याप्त वैध कारण से किसी आवेदक द्वारा किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश अथवा शामिल होने में देरी के मामले में, निदेशक का निर्णय अंतिम होगा, बशर्ते कि आवेदक संबंधित कार्यक्रम के मानदंडों के अनुसार सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में न्युनतम आवश्यक संख्या में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए।
- (iii) आवेदक के प्रवेश की तिथि संबंधित कार्यक्रम के लिए शुल्क भुगतान के दिन से मानी जाएगी।
- (4) प्रवेश प्रक्रिया- (i) प्रत्येक आवेदक को संबंधित कार्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित प्रपत्र में संस्थान द्वारा निर्धारित तिथि से पहले आवेदन करना होगा।
- (ii) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के आवेदकों को प्रवेश देने हेतु मेरिट पर विचार हेतु, संबंधित डिग्री पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त कुल प्रतिशत अंको पर विचार किया जाएगा जो उन्हें प्रवेश के लिए पात्र बनाता है और बराबरी की स्थिति में, कक्षा 12वीं (उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र) या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों पर विचार किया जाएगा।
- (iii) आवेदक को समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित और आवेदकों को सूचित की गई तारीख पर प्रवेश समिति के समक्ष मौखिक साक्षात्कार देना होगा।
- (iv) प्रवेश शैक्षणिक रिकॉर्ड की मेरिट और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर दिया जाएगा।
- (v) एक आवेदक को एक छात्र के रूप में प्रवेश पाने के लिए शारीरिक परीक्षण या चिकित्सा फिटनेस के लिए ऐसी अन्य आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी जो प्रवेश समिति को उपयुक्त लगें।
- (vi) इन पाठ्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों को प्रवेश देने के लिए भारत सरकार द्वारा तत्संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए जो दिव्यांग प्रवेश नीति होगी उसकी अनुपालना की जाएगी एवं संबंधित पाठ्यक्रम के लिए आवेदक की आवश्यक फिटनेस की भी अपेक्षा होगी।
- (vii) संस्थान के किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने का विकल्प चुनने वाले किसी भी आवेदक को आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में अध्ययन हेतु आवेदन करते समय या रिपोर्ट करते समय अपने पिछले विश्वविद्यालय से मूल माइग्रेशन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (viii) प्रवेश समिति साक्षात्कार आयोजित करने और प्रवेश प्रक्रिया संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- (ix) प्रवेश समिति उस मामले में आवेदक से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" की मांग कर सकती है जहां उसे ऐसी आवश्यकता महसुस हो और प्रवेश केवल तभी दिया जाएगा जब ऐसा प्रमाण पत्र विभाग के कार्यालय द्वारा प्राप्त हो जाएगा।
- (x) विदेशी नागरिकों को अपने आवेदन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद अथवा आयुष मंत्रालय के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, जमा करने होंगे।
- (5) आरक्षण- (i) आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांग जन) संबंधित विशेषज्ञता के लिए भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- (ii) यदि आरक्षित कोटे की सीटों में से कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, तो उसे दृढ़ता से सामान्य श्रेणी की प्रतीक्षा सूची से योग्यता के आधार पर भरा जाएगा।
- (6) प्रवेश की कुल संख्या- एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में से प्रत्येक में प्रवेश की अधिकतम संख्या प्रति बैच पच्चीस छात्र होगी। हालाँकि, इनमें से कोई भी कार्यक्रम प्रत्येक बैच में न्यूनतम पाँच छात्रों के प्रवेश के साथ शुरू किया जा सकता है।
- (7) आयु और फिटनेस- (i) किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष होगी।
- (ii) प्रत्येक आवेदक को कार्यक्रम में शामिल होने के समय अपने अध्ययन और पाठ्यचर्या प्रावधानों के एक भाग के रूप में कठोर शारीरिक प्रशिक्षण और ध्यान प्रथाओं से गुजरने के लिए अपने शारीरिक फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित आवेदक किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी से पीड़ित है या नहीं।
- (iii) हालाँकि, आवेदक को उक्त कार्यक्रम में शामिल होने के बाद, यदि आवश्यक हो, संस्थान के नियमों के अनुसार मेडिकल फिटनेस परीक्षण से गुजरना पड़ सकता है।

(8) प्रवेश समिति - एक प्रवेश समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थातु: -

	स्वस्थवृत्त और संबद्ध विज्ञान कार्यक्रमों के लिए प्रवेश समिति						
1	डीन - अकादमिक, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	अध्यक्ष ;					
2	विभागाध्यक्ष (एचओडी), स्वस्थवृत्त, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य ;					
3	एक वरिष्ठ शिक्षक, स्वस्थवृत्त, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य ;					
4	एक वरिष्ठ शिक्षक, योग या संबद्ध विज्ञान, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य ;					
5	संबंधित कार्यक्रम के कार्यक्रम समन्वयक	सदस्य सचिव					

- (9) प्रवेश समिति की प्रत्येक बैठक के बाद, समिति का सदस्य सचिव बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा, जिस पर समिति के सदस्य सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और उसे सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा।
- 4. नामांकन- एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों के छात्रों का नामांकन संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश के समय मौजूद संस्थान की नीति के अनुसार किया जाएगा।
- 5. कार्यक्रम की अवधि और उपस्थिति- (i) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों हेतु एक शैक्षणिक वर्ष की अध्ययन और प्रशिक्षण अवधि होगी, जो दो सत्रों में विभाजित होगी।
- (ii) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में आवश्यक उपस्थिति की अवधि संबंधित कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में शामिल होने हेतु प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक कक्षाओं में अलग-अलग अस्सी प्रतिशत उपस्थिति होगी।
- (iii) विशिष्ट कार्यक्रम के संबंधित विषय की आवश्यकता के अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जर्नल, असाइनमेंट, डिजर्टेशन आदि जैसे विधिवत प्रमाणित दस्तावेज, संबंधित विषय की अंतिम प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक माने जाएंगे।
- (iv) विषय में संतोषजनक कक्षा कार्य निर्धारित करने में निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखा जाएगा।
- (क) कक्षाओं में भाग लेने में नियमितता।
- (ख) विधिवत पूर्ण और प्रमाणित प्रयोगशाला/प्रायोगिक रिकॉर्ड नोटबुक।
- (ग) जहां और जब आवश्यक हो, विधिवत पूर्ण और प्रमाणित नैदानिक इतिहास पत्रक।
- (घ) छात्र को अस्पताल और अन्य ड्यूटियों, जो भी अध्ययन के कार्यक्रम के दौरान उन्हें आवंटित किए जाए, में भाग लेने की आवश्यकता होगी।
- (ङ) उपरोक्त के अलावा, छात्र को विशेष व्याख्यान, अतिथि व्याख्यान, प्रदर्शन, सेमिनार, समूह चर्चा, अध्ययन दौरे और ऐसी अन्य सह-पाठ्यचर्या गतिविधियाँ जो उनके पाठ्यक्रम के भाग के रूप में संस्थान द्वारा प्रबंधित हो में भाग लेने की भी तब तक आवश्यकता होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा छूट न दी गई हो।
- (v) उपस्थिति में कमी पर छूट- किसी प्रमाणित बीमारी या मान लेने योग्य किसी अन्य पर्याप्त कारण पर संबंधित कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होने हेतु किसी संबंधित छात्र की उपस्थिति में कमी पर निम्नानुसार छूट दी जा सकेगी-
- (क) उपस्थिति में कमी पर उचित रूप से छूट लेने के लिए, छात्र को अंतिम परीक्षा से पहले, विभाग द्वारा सूचित निर्धारित समय के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेजों और प्रमाणों के साथ विभाग में आवेदन करना होगा।
- (ख) विभागाध्यक्ष पांच प्रतिशत तक की कमी में छूट प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे। यदि कमी पांच प्रतिशत से अधिक लेकिन दस प्रतिशत से अधिक नहीं है. तो ऐसे मामलों को आवश्यक निर्णय के लिए निदेशक को भेजें जाऐंगे।
- (ग) प्रत्येक विषय के सैद्धांतिक और प्रायोगिक भाग में अलग से छूट पर उचित विचार करने के बाद अस्सी प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्रों को संबंधित कार्यक्रम की अंतिम परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (vi) आवश्यक समझे जाने पर स्वस्थवृत्त विभाग विधिवत प्रवेशित छात्रों की उपस्थिति रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा।
- 6. विभागीय अनुसंधान समिति- (i) निम्नलिखित सदस्यों की एक विभागीय अनुसंधान समिति होगी, अर्थात्:-

	संस्थान की विभागीय अनुसंधान समिति						
1	विभागाध्यक्ष, स्वस्थवृत्त, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	अध्यक्ष;					
2	एक वरिष्ठ शिक्षक, स्वस्थवृत्त, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य;					
3	एक वरिष्ठ शिक्षक, योग या संबद्ध विज्ञान, स्वस्थवृत्त, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य;					
4	दूसरे विभाग से एक शिक्षक, अधिमानतः संबद्ध विषय से एक शिक्षक, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य;					
5	अध्यक्ष द्वारा नामित प्रयोगशाला प्रमुख	सदस्य;					
6	एक सहायक प्रोफेसर या व्याख्याता, स्वस्थवृत्त, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान	सदस्य सचिव					

(ii) विभागीय अनुसंधान समिति की प्रत्येक बैठक के बाद, सदस्य सचिव बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा, जिस पर सदस्य सचिव और विभागीय अनुसंधान समिति के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

7. प्रशिक्षण की विधि- (1) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा कार्यक्रम:

- i. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा कार्यक्रमों के छात्रों को संबंधित कार्यक्रम के पाठ्यक्रम के अनुसार विषयों के तुलनात्मक और समालोचनात्मक अध्ययन के साथ-साथ शास्त्रीय ज्ञान में गहनता से पढ़ाया और प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें परामर्श, नैदानिक पहलुओं, प्रोटोकॉल योजना, संबंधित विशेषज्ञता के चिकित्सीय अनुप्रयोग, उपचार के तौर-तरीके इत्यादि के संबंध में विषय विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।
- ii. छात्रों को अपने मौजूदा चिकित्सीय कौशल को मजबूत करने के लिए अपने संबंधित विशेषज्ञता में अपने तकनीकी ज्ञान को समृद्ध करने और बढ़ाने के लिए अध्ययन के दौरान विभाग या संस्थान द्वारा आयोजित और/या निर्देशित सेमिनार, कार्यशालाएं, समूह चर्चा, नैदानिक बैठकें, विशेष शिविर इत्यादि सहित शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना होगा।
- iii. संबंधित विशेषज्ञता के माध्यम से सकारात्मक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में विशिष्ट प्रशिक्षण और कल्याण शिक्षा तथा इसकी उपयोगिता के साथ-साथ विशिष्ट विशेषज्ञता के माध्यम से रोगी देखभाल या उपचार के संबंध में छात्रों को पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाएगी।
- iv. संबंधित विषय में अनुसंधान के तौर-तरीकों, प्रारंभिक अनुसंधान गतिविधियों जैसे पायलट अध्ययन या अल्पकालिक नैदानिक या चिकित्सीय अनुसंधान परियोजनाओं आदि का एक्सपोजर, अध्ययन का एक अंतर्निहित हिस्सा होगा।
- v. छात्रों को संबंधित पद्धित के केंद्र का प्रबंधन करने में सक्षम बनाने के लिए उनकी विशेषज्ञता से संबंधित प्रबंधकीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- (2) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम:
- i. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम के छात्रों को शास्त्रीय और समकालीन साहित्य पर आधारित संबंधित विषय का गहन शिक्षण प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य संवर्धन तथा कल्याण शिक्षा के अनुरूप पाठ्यक्रम के बिंदुओं से संबंधित व्यापक व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- ii. संबंधित विशेषज्ञता के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य संवर्धन, रखरखाव और बीमारी की रोकथाम के बारे में विशिष्ट प्रशिक्षण और चिकित्सक या विषय विशेषज्ञ की प्रत्यक्ष देखरेख में समग्र हॉसपीस देखभाल में इसके विभिन्न तौर-तरीकों का उपयोग करने का पर्याप्त अनुभव छात्रों को दिया जाएगा ताकि उन्हें चिकित्सा देखभाल प्रदाता का समर्थन या सहायता करने हेतु आत्मनिर्भर बनाया जा सके।
- iii. छात्र संबंधित विशेषज्ञता के बारे में तकनीकी कौशल को समृद्ध करने के लिए अपने अध्ययन के एक भाग के रूप में विभाग या संस्थान द्वारा आयोजित और/या निर्देशित सेमिनार, कार्यशालाओं आदि सहित शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।
- iv. स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जन जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा और कल्याण शिविर, स्वास्थ्य प्रदर्शनी आदि का संचालन करना और उसमें भाग लेना उनके अध्ययन का हिस्सा होगा।
- 8. शिक्षण और परीक्षा का माध्यम- (1) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम हिंदी और/या अंग्रेजी होगा।

- (2) परीक्षा के प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए हिंदी और/या अंग्रेजी का उपयोग किया जाएगा।
- 9. **छात्रों के लिए वेकेशन और छुट्टियाँ-** (1) एक्ज़ीक्यूटिव और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम के छात्रों को तत्संबंधी निर्णय के अनुसार एक या दो अलग-अलग खंडों में अधिकतम 15 (पंद्रह) दिनों की मध्यावधि छुट्टी दी जाएगी। ये छुट्टियाँ सार्वजनिक या सरकारी छुट्टियों के अतिरिक्त होंगी।
- (2) ऐसे वेकेशन और छुट्टियों की तारीखें विभागाध्यक्ष द्वारा निदेशक के परामर्श से निर्धारित की जाएंगी।
- (3) विभाग या संस्थान के प्रमुख के पूर्वानुमोदन के बिना ली गई कोई भी छुट्टी, जैसा भी लागू हो, को जानबूझकर अनुपस्थिति मानी जाएगी और छात्र को निलंबन, बर्खास्तगी आदि सहित आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकेगा।
- (4) प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत विभागीय शैक्षणिक प्रवास या सेमिनार या संगोष्ठी या सम्मेलन प्रशिक्षण कार्यक्रम या स्वास्थ्य एक्सपो आदि में भाग लेने को वेकेशन और/या छुट्टियों के रूप में नहीं माना जाएगा।
- 10. परीक्षाओं की योजना- (1) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन योग थेरेपी (ई.डी.वाई.टी.)
- (i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक्	प्रयोग एवं	कुल घंटे
		अध्ययन के घंटे	असाइनमेंट के घंटे	
1	योग का इतिहास और दर्शन	150	-	150
2	योग के चिकित्सीय दृष्टिकोण	150	-	150
3	योगाभ्यास और उनकी चिकित्सीय प्रासंगिकता-1	150	300	450
4	योगाभ्यास और उनकी चिकित्सीय प्रासंगिकता-2	150	300	450
5	योग चिकित्सा के व्यावहारिक पहलू	150	300	450
	कुल	750	900	1650

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक मूल्यांकन			
		अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	असाइनमेंट/ परियोजना कार्य के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल अंक	योग अंक
1	योग का इतिहास और दर्शन	100	-	-	-	-	100
2	योग के चिकित्सीय दृष्टिकोण	100	-	-	-	-	100
3	योगाभ्यास और उनकी चिकित्सीय प्रासंगिकता-1	100	100	30	70	200	300
4	योगाभ्यास और उनकी चिकित्सीय प्रासंगिकता-2	100	100	30	70	200	300
5	योग चिकित्सा के व्यावहारिक पहलू	100	100	30	70	200	300
		कुल					1100

(2) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन नेचरल क्योर (ई.डी.एन.सी.)

(i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक अध्ययन के घंटे	प्रयोग और असाइनमेंट के घंटे	कुल घंटे
1	निसर्गोपचार का इतिहास और दर्शन	150	-	150
2	प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान-1	150	250	400
3	प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान-2	150	250	400
4	प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत	150	-	150
5	निसर्गोपचार के अनुप्रयुक्त पहलू	150	250	400
	कुल	750	750	1500

(ii) अंकों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक	प्रायोगिक मूल्यांकन				स्कल	
		परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा अंक	जर्नल/ असाइनमेंट / परियोजना कार्य के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल अंक	योग अंक	
1	निसर्गोपचार का इतिहास और दर्शन	100	-	-	-	-	100	
2	प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान-1	100	100	30	70	200	300	
3	प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान-2	100	100	30	70	200	300	
4	प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत	100	-	-	-	-	100	
5	निसर्गोपचार के अनुप्रयुक्त पहलू	100	100	30	70	200	300	
	•	कुल				<u></u>	1100	

(3) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी (ई.डी.सी.ए.टी.)

(i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक अध्ययन के घंटे	प्रयोग और असाइमेंट के घंटे	कुल घंटे
1	रचनात्मक कलाओं का परिचय और दर्शन	150	-	150
2	रचनात्मक कलाओं की मनो-शारीर क्रिया विज्ञान	150	-	150
3	रचनात्मक कलाओं के व्यावहारिक पहलू	150	250	400
4	रचनात्मक कला चिकित्सा के अनुप्रयोग-1	150	250	400
5	रचनात्मक कला चिकित्सा के अनुप्रयोग-2	150	250	400

कुल	750	750	1500

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक मूल्य	गांकन		सकल
		परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	जर्नल/ असाइनमेंट / परियोजना कार्य के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल अंक	योग अंक
1	रचनात्मक कलाओं का परिचय और दर्शन	100	-	-	-	-	100
2	रचनात्मक कलाओं की मनो- शारीर क्रिया विज्ञान	100	-	-	-	-	100
3	रचनात्मक कलाओं के व्यावहारिक पहलू	100	100	30	70	200	300
4	रचनात्मक कला चिकित्सा के अनुप्रयोग-1	100	100	30	70	200	300
5	रचनात्मक कला चिकित्सा के अनुप्रयोग-2	100	100	30	70	200	300
		कुल					1100

(4) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स (ई.डी.ए.एन.डी.)

(i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक अध्ययन के घंटे	प्रयोग और असाइमेंट के घंटे	कुल घंटे
1	स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद का आधार	150	-	150
2	पोषण का मौलिक ज्ञान	150	-	150
3	आयुर्वेदिक आहारशास्त्र	150	250	400
4	खाद्य व्यंजन विधि एवं उपक्रम	150	250	400
5	आहार चिकित्सा के अनुप्रयुक्त पहलू	150	250	400
	कुल	750	750	1500

क्र.सं	विषय	सैद्धांतिक		सकल			
		परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	जर्नल/ असाइनमेंट के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल अंक	योग अंक
1	स्वास्थ्य और आयुर्वेद का आधार	100	-	-	-	-	100
2	पोषण का मौलिक ज्ञान	100	-	-	-	-	100
3	आयुर्वेदिक आहारशास्त्र	100	100	30	70	200	300

	कुल						
5	आहार चिकित्सा के अनुप्रयुक्त पहलू	100	100	30	70	200	300
4	खाद्य व्यंजन और तैयारी	100	100	30	70	200	300

- (5) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन वेलनेस एंड रिहैबिलिटेशन (ई.डी.डब्ल्यू.आर.)
- (i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक अध्ययन के घंटे	प्रयोग और असाइनमेंट के घंटे	कुल घंटे
1	कल्याण की अवधारणा और दर्शन	150	-	150
2	कल्याणवर्द्धक अभ्यास-1	150	250	400
3	कल्याणवर्द्धक अभ्यास-2	150	250	400
4	दिव्यांगता सहित पुनर्वास का मौलिक ज्ञान	150	-	150
5	पुनर्वास के व्यावहारिक पहलू	150	250	400
	कुल	750	750	1500

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक मूल्यांकन				
		परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	जर्नल/असाइनमेंट /परियोजना कार्य के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल अंक	योग अंक	
1	कल्याण की अवधारणा और दर्शन	100	-	-	-	-	100	
2	कल्याणवर्द्धक अभ्यास -1	100	100	30	70	200	300	
3	कल्याणवर्द्धक अभ्यास -2	100	100	30	70	200	300	
4	दिव्यांगता सहित पुनर्वास का मौलिक ज्ञान	100	-	-	-	-	100	
5	पुनर्वास के व्यावहारिक पहलू	100	100	30	70	200	300	
		<u> </u>	ल				1100	

- (6) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा इन मेंटल हैल्थ एंड साइकोथेरेपी (ई.डी.एम.एच.पी.)
- (i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक अध्ययन के घंटे	प्रयोग और असाइनमेंट के घंटे	कुल घंटे
1	मनस और सायकी का मौलिक ज्ञान	150	-	150
2	मनोगतिकी और मानसिक स्वास्थ्य	150	-	150

3	साइकोपैथोलॉजी और मनोरोग परीक्षा	150	250	400
4	स्वास्थ्य और रोग में मनोचिकित्सा एवं परामर्श	150	250	400
5	मानसिक विकार और उनका प्रबंधन	150	250	400
	कुल	750	750	1500

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक मूल्यांकन	•		सकल
		परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	जर्नल/असाइनमेंट /परियोजना कार्य के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल	योग
1	मनस और सायकी का मौलिक ज्ञान	100	-	30	70	100	100
2	मनोगतिकी और मानसिक स्वास्थ्य	100	-	30	70	100	100
3	साइकोपैथोलॉजी और मनोरोग परीक्षा	100	100	30	70	200	300
4	स्वास्थ्य और रोग में मनोचिकित्सा एवं परामर्श	100	100	30	70	200	300
5	मानसिक विकार और उनका प्रबंधन	100	100	30	70	200	300
			कुल				1100

(7) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योग एज्युकेशन (पी.जी.डी.वाई.एड.)

(i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.स	विषय	सैद्धांतिक अध्ययन के घंटे	प्रयोग और असाइनमेंट के घंटे	कुल घंटे
1	योग का इतिहास और दर्शन	150	-	150
2	योग एवं स्वास्थ्य	150	300	450
3	योगाभ्यास	150	300	450
4	योग शिक्षण और मूल्यांकन तकनीक	150	300	450
5	योग और संबद्ध विज्ञान	150	-	150
	कुल	750	900	1650

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक	प्रायोगिक मूल्यांकन				सकल
		परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	असाइनमेंट/ परियोजना कार्य के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल अंक	याग अंक

1	योग का इतिहास और दर्शन	100	-	-	-	-	100
2	योग एवं स्वास्थ्य	100	100	30	70	200	300
3	योगाभ्यास	100	100	30	70	200	300
4	योग शिक्षण और मूल्यांकन तकनीक	100	100	30	70	200	300
5	योग और संबद्घ विज्ञान	100	-	-	-	-	100
	कुल						

- (8) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नेचरल थेराप्यूटिक्स (पी.जी.डी.एन.टी.)
- (i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक अध्ययन के घंटे	प्रयोग और असाइनमेंट के घंटे	कुल घंटे
1	निसर्गोपचार का इतिहास और दर्शन	150	-	150
2	शरीर रचना एवं शरीर क्रिया का मौलिक ज्ञान	150	250	400
3	निसर्गोपचार और स्वास्थ्य	150	-	150
4	प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान -1	150	250	400
5	प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान -2	150	250	400
	कुल	750	750	1500

कों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक मूल्य	ांकन		सकल
		परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	असाइनमेंट/ परियोजना कार्य के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल अंक	योग अंक
1	निसर्गोपचार का इतिहास और दर्शन	100	-	-	-	-	100
2	शरीर रचना एवं शरीर क्रिया का मौलिक ज्ञान	100	-	30	70	100	200
3	निसर्गोपचार और स्वास्थ्य	100	-	-	-	-	100
4	प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान - 1	100	70	30	50	150	250
5	प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान - 2	100	70	30	50	150	250
		कुल		1	1	1	900

- (9) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिएटिव आर्ट थेराप्यूटिक्स (पी.जी.डी.सी.ए.टी.)
- (i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक अध्ययन के घंटे	प्रयोग और असाइनमेंट के घंटे	कुल घंटे
1	रचनात्मक कलाओं का परिचय और दर्शन	150	-	150
2	रचनात्मक कलाओं का मनो-शारीर क्रिया विज्ञान	150	250	400
3	रचनात्मक कला और स्वास्थ्य	150	-	150
4	रचनात्मक कलाओं के सिद्धांत और अभ्यास	150	250	400
5	रचनात्मक कला चिकित्सा विज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलू	150	250	400
	कुल	750	750	1500

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक मूल्यांकन			
		परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	जर्नल/ असाइनमेंट/ परियोजना कार्य के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल अंक	योग अंक
1	रचनात्मक कलाओं का परिचय और दर्शन	100	-	-	-	-	100
2	रचनात्मक कलाओं का मनो- शारीर क्रिया विज्ञान	100	50	30	20	100	200
3	रचनात्मक कला और स्वास्थ्य	100	-	-	-	-	100
4	रचनात्मक कलाओं के सिद्धांत और अभ्यास	100	70	30	50	150	250
5	रचनात्मक कला चिकित्सा विज्ञान के अनुप्रयुक्त पहलू	100	70	30	50	150	250
		कुल					900

(10) iv. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आयुर्वेद आहार (पी.जी.डी.ए.ए.)

(i) शिक्षण घंटों का वितरण

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक अध्ययन के घंटे	प्रयोग और असाइनमेंट के घंटे	कुल घंटे
1	स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद का मौलिक ज्ञान	150	-	150
2	आहार एवं पोषण का मौलिक ज्ञान	150	250	400
3	आयुर्वेद में आहारशास्त्र	150	-	150
4	आहार संस्कार एवं कल्पना	150	250	400
5	आहार के अनुप्रयुक्त पहलू	150	250	400
	कुल	750	750	1500

क्र.सं.	विषय	सैद्धांतिक		प्रायोगिक मूल्य	ांकन		सकल
		परीक्षा के अंक	प्रायोगिक परीक्षा के अंक	जर्नल/ असाइनमेंट/ परियोजना कार्य के अंक	मौखिक परीक्षा के अंक	कुल अंक	योग अंक
1	स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद का मौलिक ज्ञान	100	-	-	-	1	100
2	आहार एवं पोषण का मौलिक ज्ञान	100	50	30	20	100	200
3	आयुर्वेद में आहारशास्त्र	100	-	-	-	-	100
4	आहार संस्कार एवं कल्पना	100	70	30	50	150	250
5	आहार के अनुप्रयुक्त पहलू	100	70	30	50	150	250
	कुल						

- **10. परीक्षा का संचालन-** (1) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों की परीक्षाएं ऐसे समय पर, ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी और ऐसी तारीखों से शुरू होंगी जो संस्थान के संबंधित प्राधिकारी एक शैक्षणिक वर्ष के अंत में समय-समय पर निर्धारित करें।
- (2) परीक्षा में संबंधित विषयों में दिए गए विनिर्देशों के अनुसार मौखिक परीक्षा सहित लिखित प्रश्नपत्र और प्रायोगिक परिक्षाएं शामिल होंगी।
- (3) सभी कार्यक्रमों की सभी सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं सक्षम प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए गए पैटर्न के अनुसार आयोजित की जाएंगी।
- (4) दिव्यांग छात्रों की परीक्षा की नीति संस्थान के संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार होगी।
- (5) परीक्षा शुल्क के नियम संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश के समय मौजूद संस्थागत मानदंडों के अनुसार लागू होंगे।
- (6) जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो, प्रायोगिक और मौखिक परीक्षाओं को छोड़कर सभी परीक्षाएं मृद्रित या लिखित पेपर के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।
- (7) किसी परीक्षा में किसी छात्र द्वारा कदाचार किए जाने पर निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी-

क्र.सं.	अनुचित साधन या कृत्य	दण्ड
(1)	(2)	(3)
(1)	परीक्षा हॉल के अंदर उत्तर पुस्तिका के अलावा किसी भी सामग्री पर प्रश्न या उत्तर या कुछ भी लिखना।	संबंधित विषय का परिणाम रद्द किया जा सकता है
(2)	परीक्षा हॉल में परीक्षा के विषय से संबंधित सामग्री रखना अर्थात्:- (क) कागजात, किताबें या नोट्स; अथवा	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
	(ख) छात्र द्वारा पहने गए कपड़ों के किसी भी हिस्से पर या उसके शरीर के किसी भी हिस्से, या टेबल या डेस्क पर लिखित नोट्स; अथवा	
	(ग) फुट-रूल और / अथवा उपकरण जैसे सेट-स्क्वायर, प्रोट्रैक्टर, स्लाइड रूलर आदि जिन पर नोट्स लिखे हों।	

(3)	उत्तर-पुस्तिका से नकल करना पाया गया या सिद्ध किया गया या अन्यथा यह स्थापित हो जाता है कि छात्र ने,	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
	(क) परीक्षा के दौरान या उसके बाद किसी भी समय किसी भी तरीके से किसी भी कागजात, किताबें, नोट्स, उत्तर-पुस्तिका या किसी अन्य स्रोत की नकल की या मदद ली; या	
	(ख) किसी अन्य छात्र को अपनी उत्तर-पुस्तिका से नकल करने की अनुमति दी; या	
	(ग) किसी अन्य छात्र से सहायता प्राप्त की है या सहायता की है; या	
	(घ) किसी अन्य छात्र के साथ अपनी उत्तर-पुस्तिका या उसके किसी भाग का आदान-प्रदान किया।	
(4)	प्रश्न पत्र (या उसके किसी भाग) को परीक्षा हॉल बाहर भेजना या बाहर भेजनें का प्रयास करने पर	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(5)	आपत्तिजनक सामग्री को निगलना, उसे लेकर भाग जाना या उसे गायब कर देना या किसी अन्य तरीके से नष्ट करना।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(6)	किसी उत्तर-पुस्तिका को अंदर या बाहर ले जाना अथवा उसे बदलना या उत्तर लिखने के बाद उसे बदल देना (परीक्षा के दौरान या बाद में किसी व्यक्ति की सहायता या सहायता के बगैर अथवा मिलीभगत से)।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(7)	उत्तर-पुस्तिका पर्यवेक्षक को न सौंपना या उत्तर-पुस्तिका को नष्ट कर देना।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(8)	परीक्षा हॉल में गंभीर कदाचार या कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार या परीक्षा हॉल के अंदर या बाहर परीक्षा ड्यूटी पर नियुक्त कर्मचारियों के साथ बल प्रयोग या उपद्रव करना।	दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(9)	अवज्ञा, सीट परिवर्तन, परीक्षा हॉल में या उसके आसपास दुर्व्यवहार या उत्तर पुस्तिका पर किसी अन्य छात्र की सीट संख्या लिखना।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(10)	अंक बढ़ाने या खाली पन्नों पर उत्तर लिखने के लिए परीक्षक के पास जाना।	तीन परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(11)	प्रतिरूपण-प्रतिरूपणकर्ता (जो किसी अन्य छात्र के लिए लिखता है), यदि वह इस संस्थान का छात्र होने के साथ-साथ प्रतिरूपित छात्र भी है।	छात्र को संस्थान से स्थायी रूप से वर्जित किया जा सकता है
(12)	जब उत्तर-पुस्तिका में शामिल हो,	संबंधित विषय का परिणाम रद्द
	(क) अपमानजनक या अश्लील या धमकी भरी भाषा; अथवा	किया जा सकता है
	(ख) परीक्षक से अपील; अथवा	
	(ग) पहचान प्रकट करने के लिए विशिष्ट चिह्न।	
(13)	आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की गलत जानकारी के आधार पर परीक्षा में प्रवेश।	एक परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है
(14)	यदि छात्र वीडियो फुटेज में बात करते या कोई अन्य कदाचार करते हुए/या परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हुए पाया जाता है।	एक या दो परीक्षाओं में बैठने से वंचित किया जा सकता है

- (8) किसी परीक्षा में किसी अनुचित साधन या कृत्य को छात्र के विरूद्ध सिद्ध किया जाता है जो उप-विनियम (7) में उल्लिखित नहीं है, तो निदेशक द्वारा नियुक्त परीक्षा अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति को छात्र द्वारा प्रयुक्त अनुचित साधनों या कृत्य के मामले के अनुसार दण्ड निर्धारित करने की शक्ति होगी।
- (9) प्राधिकारी को इस बात की संतुष्टि होने पर कि कोई छात्र एक संक्रामक या कंटेजियस बीमारी से पीड़ित है जो अन्य परीक्षार्थियों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है,उसे किसी भी परीक्षा से बाहर करने की शक्ति होगी।
- (10) यदि कोई छात्र किसी विषय के उप-मदों में से किसी एक में अनुत्तीर्ण हो जाता है, जिसमें लिखित और प्रायोगिक परीक्षा होती है, तो उसे उस विषय के दोनों उप-मदों में दोबारा परीक्षा देनी होगी।
- (11) एक छात्र जिसने संबंधित कार्यक्रम के कुल विषयों में से कुछ विषयों की परीक्षा सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली है, जैसा भी मामला हो, लेकिन कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया है, तो उसे केवल उन्हीं विषयों के लिए जिनमें वह अनुत्तीर्ण रहा है, कि दोबारा परीक्षा देनी होगी।
- (12) पूरे कार्यक्रम से गुजरने वाले एक छात्र को उसकी पहली परीक्षा को पहला अवसर मानते हुए लगातार 10 (दस) सत्रों में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 05 (पांच) अवसर दिए जाएंगे।
- (13) 05 (पांच) अवसरों के पूरा होने के बाद जहां आवेदक परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है, तो उसे कार्यक्रम हेतु अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- (14) परीक्षा में सफल घोषित होने के लिए, किसी भी कार्यक्रम के छात्र को प्रत्येक विषय में सैद्धांतिक और प्रायोगिक पक्ष में अलग-अलग कम से कम पचास प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, जैसा भी मामला हो और कोई अनुग्रह अंक स्वीकार्य नहीं होगा।
- (15) समग्र रूप से साठ प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को संबंधित कार्यक्रम के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने पर प्रथम श्रेणी में रखा जाएगा; जबिक संबंधित कार्यक्रम के सभी विषयों में उत्तीर्ण होने पर समग्र रूप से सत्तर प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को विशिष्ट वर्ग में रखा जाएगा।
- (16) अंकों का सत्यापन या पुन: जांच:- कोई भी छात्र, जो एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु शामिल हुआ है, संस्थान के संबंधित नियमों के अनुसार इस हेतु देय शुल्क के भुगतान के बाद, जिस विषय के परिणाम से असंतुष्टि हों, उसकी सैद्धांतिक परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका के अंकों के सत्यापन या पुन: जांच के लिए आवेदन कर सकता है।
- (17) उत्तर पुस्तिका का पुन: जांच या पुनर्मूल्यांकन: -कोई भी छात्र, जो एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम हेतु शामिल हुआ है, संस्थान के संबंधित नियमों के अनुसार इस हेतु देय शुल्क के भुगतान के बाद, , जिस विषय के परिणाम से असंतुष्टि हों, उसकी सैद्धांतिक परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिका के अंकों के सत्यापन या पुन: जांच के लिए आवेदन कर सकता है।
- (18) किसी भी मामले में जहां यह पाया जाता है कि परीक्षा का परिणाम किसी त्रुटि, कदाचार, धोखाधड़ी, अनुचित आचरण या किसी भी प्रकृति के अन्य मामले से प्रभावित हुआ है, प्राधिकारी ऐसे परिणाम में इस तरह से संशोधन करने के लिए सक्षम होगा जो सत्य परिस्थिति के अनुसार प्रतीत हो और सक्षम प्राधिकारी इस आधार पर अपने विवेक से ऐसी घोषणा करना आवश्यक समझेगा।
- (19) किसी भी मामले में जहां किसी परीक्षा का परिणाम सुनिश्चित और प्रकाशित किया गया है और यह पाया जाता है कि ऐसा परिणाम किसी कदाचार, धोखाधड़ी या किसी अन्य अनुचित आचरण से प्रभावित हुआ है जिससे एक परीक्षार्थी को लाभ हुआ है और ऐसी परीक्षा में, सक्षम प्राधिकारी की राय में, ऐसे कदाचार, धोखाधड़ी, अनुचित आचरण में आंशिक रूप से या गुप्त रूप से या शामिल होना पाए जाने पर, सक्षम प्राधिकारी के पास किसी भी समय, प्रमाण पत्र जारी करने या पुरस्कार या छात्रवृत्ति देने के बावजूद ऐसे परीक्षा के परिणाम में संशोधन करने की शक्ति होगी और सक्षम प्राधिकारी उस संबंध में घोषणा करना आवश्यक समझेगा।
- (20) परीक्षक की नियुक्ति:- सभी प्रायोगिक परीक्षाएं 2 (दो) परीक्षकों द्वारा आयोजित की जाएंगी, जिनमें से 1 (एक) आंतरिक परीक्षक होगा और 1 (एक) बाहरी परीक्षक होगा। आंतरिक परीक्षक को संबंधित कार्यक्रम के संबंधित विषय के शिक्षकों में से नियुक्त किया जाएगा, जबिक बाहरी परीक्षक को किसी अन्य राष्ट्रीय या प्रतिष्ठित संस्थान से नियुक्त किया जा सकता है, जो समान प्रकार के कार्यक्रम संचालित करता हो और जिसके पास संबंधित विषय या कौशल के शिक्षण या अभ्यास का 3 (तीन) वर्ष या उससे अधिक का अनुभव हो।

- 11. एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रदान करना और उसका दायरा- (1) **एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा** के छात्र, जिन्होंने कार्यक्रम पूर्ण कर लिया है और अंतिम परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें संबंधित विशेषज्ञता का **एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा** प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा और चिकित्सा प्रतिष्ठानों में या स्वतंत्र रूप से बीमारियों के इलाज के लिए संबंधित क्षेत्र में सलाहकार, प्रैक्टिशनर के रूप में कार्य करने के लिए पात्र माना जाएगा।
- (2) पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के छात्र, जिन्होंने कार्यक्रम पूर्ण कर लिया है और अंतिम परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, उन्हें संबंधित विशेषज्ञता के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे और वे ज्ञान और कौशल का उपयोग स्वयं तथा स्वास्थ्य लाभ के इच्छुकों के लिए स्वतंत्र उद्यमों के माध्यम से या किसी संगठन में चिकित्सा सहायक, स्वास्थ्य परामर्शदाता, फिटनेस ट्रेनर आदि के रूप में कार्य करने करने में सक्षम होंगे।
- 12. शुल्क अनुसूची- (1) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम के छात्रों को विभिन्न शुल्क जैसे आवेदन पत्र शुल्क, प्रॉस्पेक्टस, पंजीकरण शुल्क, ट्यूशन शुल्क, कॉशन मनी, विभागीय पुस्तकालय शुल्क, केंद्रीय पुस्तकालय शुल्क, आई-कार्ड शुल्क, नामांकन शुल्क, चिकित्सा परीक्षण शुल्क, पुस्तकालय जमा शुल्क, बोर्ड ऑफ़ स्पोर्ट्स शुल्क का संस्थान के समय-समय पर संशोधित मानदंडों के अनुसार भुगतान करना होगा।
- (2) सभी कार्यक्रमों की परीक्षा, मार्कशीट, डिप्लोमा प्रमाण पत्र, ट्रांसक्रिप्ट, डुप्लीकेट मार्कशीट, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आदि से संबंधित शुल्क संस्थान के मौजूदा मानदंडों के अनुसार होगा।
- (3) एक छात्र को प्रवेश के समय परीक्षा शुल्क को छोड़कर सभी शुल्क का भुगतान करना होगा।
- (4) प्रवास, कार्यशालाओं, परियोजना कार्यों आदि से संबंधित व्यय और शुल्क, यदि कोई हो, छात्रों द्वारा वहन किया जाएगा।
- (5) एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रमों में भाग लेने वाले विदेशी नागरिकों के लिए शुल्क भारतीय छात्रों की तुलना में तीन गुना होगी।
- 13. विविध- (1) स्वस्थवृत्त विभाग जब कभी आवश्यकता हो, नियमों और विनियमों में बदलाव करने की सिफारिश कर सकता है और उस बदलाव को अनुमोदन के लिए संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष रखा जाएगा।
- (2) स्वस्थवृत्त विभाग इन विनियमों में बताए गए अनुसार एक्ज़ीक्यूटिव डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कार्यक्रम की समान तर्ज पर या अन्यथा जब भी आवश्यक हो, निदेशक की उचित अनुमित के बाद अल्पकालिक प्रमाणपत्र कार्यक्रम तैयार और संचालित कर सकता है।
- (3) किसी भी अन्य मामले के लिए, जहां किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने वाले नियम और विनियम मौन हो, उक्त कार्यक्रम के प्रारंभ के समय मौजूद आईटीआरए, जामनगर के संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार निपटा जाएगा और उसके बाद संशोधित किया जाएगा।
- (14) प्राधिकारी की विवेकाधीन शक्तियां:- संस्थान के निदेशक के पास इन विनियमों के प्रावधानों की व्याख्या में किसी भी विसंगति के लिए अंतिम अधिकार है, और लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, संस्थान के शासी निकाय के अनुमोदन या अनुसमर्थन से इन विनियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दे सकते हैं।

डॉ.अनूप ठाकर, निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./079/2024-25]

INSTITUTE OF TEACHING AND RESEARCH IN AYURVEDA NOTIFICATION

New Delhi, 29th April, 2024

- **F.NO. L-12015/25/2021-AS-Pt.1.C-.** In exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of section 28 of the Institute of Teaching and Research in Ayurveda Act, 2020 (16 of 2020), the Institute of Teaching and Research in Ayurveda with the prior approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely: -
 - 1. Short title and Commencement.- (1)These regulations shall be called as the Institute of Teaching and Research in Ayurveda –Swasthavritta and Allied Sciences Programme Regulations 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Definitions.- In these Regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Applicant" means an individual who applies for admission to Executive Diploma or Post Graduate Diploma programme, as the case may be, conducted by Swasthavritta Department in a prescribed manner.
 - (b) "Controller of Examinations (CoE)" shall mean Controller of Examinations appointed by the Institute.
 - (c) "Date of admission" means the date of payment of the fees for admission to the concerned programme at the department.
 - (d) "Examinee" means an individual who is eligible to undertake examination of the Executive Diploma or Post Graduate Diploma programme, as the case may be.
 - (e) "Executive Diploma" means the Post Graduate Diploma awarded by the Institute in accordance with the provisions of these regulations in the following disciplines namely:
 - i. Executive Diploma in Yoga Therapy (E.D.Y.T.)
 - ii. Executive Diploma in Nature Cure (E.D.N.C.)
 - iii. Executive Diploma in Creative Arts Therapy (E.D.C.A.T.)
 - iv. Executive Diploma in Ayurvedic Nutrition and Dietetics (E.D.A.N.D.)
 - v. Executive Diploma in Wellness and Rehabilitation (E.D.W.R.)
 - vi. Executive Diploma in Mental Health and Psychotherapy (E.D.M.H.P.)
- (f) "HoD, Swasthavritta" means the Head of the Department, Swasthavritta, Institute of Teaching and Research in Ayurveda.
- (g) "Post Graduate Diploma" means the Post Graduate Diploma awarded by the Institute in accordance with the provision of these regulations in the following disciplines namely:
 - i. Post Graduate Diploma in Yoga Education (P.G.D.Y.Ed.)
 - ii. Post Graduate Diploma in Natural Therapeutics (P.G.D.N.T.)
 - iii. Post Graduate Diploma in Creative Art Therapeutics (P.G.D.C.A.T.)
 - iv. Post Graduate Diploma in Ayurveda Aahara (P.G.D.A.A.)
 - (h) "Programme Coordinator" means a teaching faculty from ITRA coordinating the concerned programme.
 - (i) "Student" means an individual who has been admitted to Executive Diploma or Post Graduate Diploma programme, as the case may be, conducted by Swasthavritta Department in compliance with the provisions of these regulations.
 - (j) "Tenure of the programme" means the minimum period for which a student shall attend the institute and department till declared successfully passed in final examination of the concerned programme.
- (2) Words and expressions used in these regulations and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Admission.- (1) Eligibility- The minimum essential qualifications required for admission to the various programmes conducted by the Department of Swasthavritta, Institute of Teaching and Research in Ayurveda are as under
 - i. Executive Diploma in Yoga Therapy (E.D.Y.T.).- Graduation from any medical faculty [Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.), Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (B.N.Y.S.), Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.), Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (B.S.M.S.), Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (M.B.B.S.), Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.), Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)] or equivalent from a university established by law or recognised institution by the respective statutory bodies or Master of Science (M.Sc.) or Master of Arts (M.A.) in Yoga Therapy from a university established by law or recognised institutions by respective statutory bodies.
 - ii. Executive Diploma in Nature Cure (E.D.N.C.).- Graduation from any medical faculty [Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.), Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (B.N.Y.S.), Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.), Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (B.S.M.S.), Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (M.B.B.S.), Bachelor of Dental Surgery

- (B.D.S.), Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)] or equivalent from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies.
- iii. Executive Diploma in Creative Arts Therapy (E.D.C.A.T.).- Graduation from any medical faculty [Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.), Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (B.N.Y.S.), Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.), Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (B.S.M.S.), Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (M.B.B.S.), Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.), Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)] with Diploma or Degree in any sector of Creative Arts from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies or Master of Science (M.Sc.) or Master of Arts (M.A.) in Creative Arts Therapy or equivalent from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies.
- iv. Executive Diploma in Ayurvedic Nutrition and Dietetics (E.D.A.N.D.).- Graduation from any medical faculty [Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.), Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (B.N.Y.S.), Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.), Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (B.S.M.S.), Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (M.B.B.S.), Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.), Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)] or equivalent from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies or Master of Science (M.Sc.) (Dietetics) or Master of Science (M.Sc.) (Food and Nutrition) from a university established by law or recognized institution by respective statutory bodies.
- v. Executive Diploma in Wellness and Rehabilitation (E.D.W.R.).- Graduation from any medical faculty [Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.), Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (B.N.Y.S.), Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.), Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (B.S.M.S.), Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (M.B.B.S.), Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.), Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)] or equivalent from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies.
- vi. Executive Diploma in Mental Health and Psychotherapy (E.D.M.H.P.).- Graduation from any medical faculty [Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (B.A.M.S.), Bachelor of Naturopathy and Yogic Sciences (B.N.Y.S.), Bachelor of Unani Medicine and Surgery (B.U.M.S.), Bachelor of Siddha Medicine and Surgery (B.S.M.S.), Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (M.B.B.S.), Bachelor of Dental Surgery (B.D.S.), Bachelor of Physiotherapy (B.P.T.)] or equivalent from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies.
- vii. Post Graduate Diploma in Yoga Education (P.G.D.Y.Ed.).- Graduation or equivalent from any faculty other than medical field from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies.
- viii. Post Graduate Diploma in Natural Therapeutics (P.G.D.N.T.).- Graduation or equivalent from any faculty other than medical field from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies.
- ix. Post Graduate Diploma in Creative Art Therapeutics (P.G.D.C.A.T.).- Graduation from any field of Performing or Creative Arts from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies or Graduation from of any faculty other than medical with minimum 03 years Diploma or Training in any sector of Performing or Creative Arts from a university established by law or recognized institution by respective statutory bodies.
- x. Post Graduate Diploma in Ayurveda Aahara (P.G.D.A.A.).- Graduation or equivalent from any faculty other than medical field from a university established by law or recognised institution by respective statutory bodies.
- (2) Eligibility for Foreign Nationals.- The eligibility qualifications for Foreign Nationals applying for admission to any Executive Diploma or Post Graduate Diploma programmes, as the case may be, shall be the same or equivalent to the regulations for Indian Nationals as stated herein under the concerned programmes.
- (3) Date of Admission.- (i) Admissions to the concerned programme shall be accorded once in a year generally between July to September. However, the last date for admitting any applicant shall be 30^{th} of September of the given year.
- (ii) In case of any delay in admission to or joining in any of the programme by an applicant owing to a sufficient valid reason, the decision of the Director shall be final, provided that the applicant should be able to attend the minimum required number of theory and practical classes as prescribed by the norms for the given programme.
- (iii) The date of admission of the applicant shall be considered from the day the fee is paid for the concerned programme.

- (4) Admission Process.- (i) Every applicant must apply for an admission for the concerned programme in a prescribed form not later than the date fixed by the Institution.
- (ii) The consideration of merit for admission to the applicants of various programmes falling under the category of Executive Diploma and Post Graduate Diploma Programme, the total percentage secured by them in the final examination of the respective degree course making them eligible for admission, shall be taken into account and in the case of a tie, the marks obtained in standard 12th (Higher Secondary Certificate) or an equivalent examination shall be taken into consideration.
- (iii) An applicant shall also be required to undergo an oral interview before the admission committee on a date fixed by the chairperson of the committee and communicated to the applicants.
- (iv)The admission shall be accorded based on the merit in academic records and performance at the interview.
- (v) An applicant must fulfill such other requirements for physical test or medical fitness for being admitted as a student as may be found suitable to the Admission Committee.
- (vi) The policy about admitting persons with disability shall be followed as per the norms stated by the Government of India for the study in concerned programme as well as the fitness of the applicant to undertake the same.
- (vii) Any applicant opting to join any of the programme at the institute shall need to produce a Migration certificate from the university previously attended, in original, at the time of applying or reporting for studies at the Institute of Teaching and Research in Ayurveda.
- (viii) Admission committee shall be responsible for conducting the interview and carrying out the admission process.
- (ix) Admission committee may demand a "No Objection Certificate" from an applicant in the case where it may feel such necessity and the admission shall be given only when such certificate is received by the office of the Department.
- (x) Foreign Nationals are required to submit their applications through the Ministry of Ayush received from Indian Council for Cultural Relations as the case may be.
- (5) Reservation.- (i) The Reservation (the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the Other Backward Class, the Economically Weaker Section, the Persons with Disability) shall be as per the Government of India guidelines for the concerned specialty.
- (ii) If any vacancy arises out of the reserved quota seats, it shall be filled up strictly based on merit from the waiting list of the General category.
- (6) Total number of admissions.- The maximum number of admissions in each of the Executive Diploma and Post Graduate Diploma programmes shall be twenty five students per batch. However, any of these programmes can be started with minimum admission of five students per batch.
- (7) Age and Fitness.- (i) The maximum age limit shall be forty five years for joining any programme.
- (ii) Every applicant will have to produce a medical fitness certificate from a registered medical practitioner at the time of joining the programme regarding their physical fitness and mental health to undergo rigorous physical training and meditative practices as a part of their study and curricular provisions. The certificate should clearly mention whether the concerned applicant is suffering from any grave disease of any system or not.
- (iii) However, an applicant may be subjected to a medical fitness test as per the rules of the Institute, if so required, after joining the said programme.
- (8) Admission Committee.- There shall be an admission committee consisting of the following members namely:-

	Admission committee for Swasthavritta and Allied Sciences	programmes
1	Dean – Academic, Institute of Teaching Research in Ayurveda	Chairperson;
2	Head of Department (HoD), Swasthavritta, Institute of Teaching Research in Ayurveda	Member;
3	One senior teacher, Swasthavritta, Institute of Teaching Research in Ayurveda	Member;
4	One senior teacher, Yoga or Allied Science, Institute of Teaching Research	Member;

	in Ayurveda	
5	Programme Coordinator of the concerned programme	Member Secretary.

- (9) After each meeting of the Admission Committee, the member secretary of the committee shall prepare the minutes of the meeting, which shall be signed by the member secretary and chairperson of the committee and the same shall be circulated to all the members.
- 4. Enrollment.- Enrollment of the students of Executive Diploma and Post Graduate Diploma programmes shall be done as per the policy of the Institution existing at the time of admission to the given programme(s).
- 5. Tenure of the Programme and Attendance.- (i) The Executive Diploma and Post Graduate Diploma programmes shall have a study and training period of one academic year, divided into two terms.
 - (ii) The period of attendance required in Executive Diploma and Post Graduate Diploma programmes shall be eighty percentage presence in theory and practical classes in each subject separately for achieving an eligibility to appear in the final examination of the concerned programme.
 - (iii) Duly certified documents like Project report, Journal, Assignment, Dissertation etc., as per the need of the concerned subject of the specific programme, shall be considered essential for appearing in the final practical examination of the given subject.
 - (iv) The following factors shall be taken into consideration in determining satisfactory class work in the subject.
 - (a) Regularity in attending the classes.
 - (b) Duly completed and certified laboratory/practical record notebook.
 - (c) Duly completed and certified clinical history sheets as, where and when required.
 - (d) The student shall be required to attend Hospital and other duties, as may be allotted to them during the programme of the study.
 - (e) In addition to above, the student shall also be required to attend special lectures, guest lectures, demonstrations, seminars, group discussion, study tours and such other co-curricular activities which may be arranged by the Institution, as a part of their curriculum, unless and otherwise exempted by the competent authority.
 - (v) Condonation of deficiency in attendance.- On account of a *bona fide* illness or any other reason deemed sufficient, the condonation of deficiency in attendance of a given student to be eligible for appearing in the final examination of the given programme shall be dealt with as under-
 - (a) In order to get the deficiency in attendance duly condoned, a student has to apply to the department with all the necessary documents and proofs within the stipulated time, as intimated by the Department, before the final examination.
 - (b) The Head of Department shall be the competent authority to condone the deficiency up to five percentage. If the deficiency is of more than five percentage but not exceeding ten percentage, such cases shall be referred to the Director for necessary decision.
 - (c) Students having less than Eighty percentage of presence after due consideration of condonation in theory and practical of each subject separately shall not be allowed to appear in the final examination of the concerned programme.
 - (vi) The Department of Swasthavritta shall maintain the attendance registers of duly admitted students as deemed necessary.
- 6. Departmental Research Committee.- (i) There shall be a Departmental Research Committee of the following members, namely:-

	Departmental Research Committee of the Institute				
1	Head of Department, Swasthavritta, Institute of Teaching and Research in Ayurveda	Chairperson;			
2	One senior teacher, Swasthavritta, Institute of Teaching and Research in Ayurveda	Member;			
3	One senior teacher, Yoga or Allied Science, Swasthavritta, Institute of Teaching and Research in Ayurveda	Member;			
4	One teacher from the other department preferably from allied subject, Institute of	Member;			

		Teaching and Research in Ayurveda	
Ī	5	One Head of the Laboratory nominated by Chairperson	Member;
	6	One Assistant Professor or Lecturer, Swasthavritta, Institute of Teaching and Research in Ayurveda	Member Secretary.

- (ii) After each meeting of the Departmental Research Committee, the member secretary shall prepare the minutes of the meeting, which shall be signed by the member secretary and chairperson of the Departmental Research Committee.
- 7. Method of Training.- (1) Executive Diploma Programme:
- i. The students of Executive Diploma programmes shall be intensively taught and trained in classical knowledge along with comparative and critical study of the subjects as per the syllabus of the respective programme including hands on training under the subject expert with regards to consultation, diagnostic aspects, protocol planning, therapeutic application, treatment modalities etc. of the concerned specialty.
- ii. The students shall require to participate in academic, research and training programmes including seminars, workshops, group discussions, clinical meetings, special camps etc. organized and/or as instructed by the Department or Institution during their course of study in order to fortify their existing medical skills with that of the concerned specialty to enrich and enhance of their technical knowhow.
- iii. Specific training about positive health care through concerned specialty and ample exposure to patient care or treatment through the specific specialty along with wellness education and its utility shall be imparted to the students.
- iv. Exposure to the research modalities, preliminary research activities like conducting pilot studies or short term clinical or therapeutic research projects etc. in concerned subject shall be an inherent part of the study.
- v. The students shall be subjected to managerial training related to their specialty to be able to manage a center of concerned modality.
 - (2) Post Graduate Diploma programme:
- i. The students of Post Graduate Diploma programme shall be provided thorough teaching of the concerned subject based on classical and contemporary literature and shall be imparted extensive practical training related to the points of the syllabus in alignment with health promotion and wellness education.
- ii. Specific training about holistic health promotion, maintenance and disease prevention through concerned specialty and ample exposure of utilizing its various modalities in overall hospice care under the direct supervision of a physician or subject expert shall be imparted to the students so as to make them self-reliant in supporting or assisting the medical care provider.
- iii. The students shall also participate in the teaching and training programmes including seminars, workshops etc. organized and/or as instructed by the Department or Institution as a part of their studies for enriching the technical skills about the concerned specialty.
- iv. Conducting and participating in health surveys, public awareness programmes, health education and wellness camps, health exhibition etc. shall be a part of their studies.
- 8. Medium of Instruction and Examination.- (1)The medium of instruction and examination shall be Hindi and/or English.
 - (2) Hindi and/or English shall be used for setting the question papers of examination.
- 9. Vacation and Leave for the students.- (1) The students of Executive as well as Post Graduate Diploma Programme shall be given a midterm vacation not exceeding 15 (Fifteen) days in one or two separate segments as decided at the given point of time. These leaves shall be above the Public or Government holidays.
 - (2) Dates of such vacation/ leave period shall be decided by the Head of the Department in consultation with the Director.
 - (3) Any leave enjoyed without the previous approval of the Head of the Department or Institution, as applicable, shall be treated as a willful absence and may render the student liable for further disciplinary action including suspension, dismissal etc.
 - (4) The Departmental study tour or attending seminar or symposia or conference Training Programme or Health Expo etc., as sanctioned by the authority will not be treated with the vacation and / or leaves.
 - 10. Scheme of Examinations.- (1) Executive Diploma in Yoga Therapy (E.D.Y.T.)

(i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory Hours	Practical & Assignments Hours	Total Hours
1	History and Philosophy of Yoga	150	-	150
2	Therapeutic Approaches of Yoga	150	-	150
3	Yoga Practices and Their Therapeutic Relevance - 1	150	300	450
4	Yoga Practices and Their Therapeutic Relevance - 2	150	300	450
5	Applied Aspects of Yoga Therapy	150	300	450
	Total	750	900	1650

(ii) Distribution of Marks

Sn	Subject	Theory		Practical Assessment				
		Marks	Practical Marks	Assignment/ Project Marks	Viva Marks	Total Marks	Total Marks	
1	History and Philosophy of Yoga	100	-	-	-	-	100	
2	Therapeutic Approaches of Yoga	100	-	-	-	-	100	
3	Yoga Practices and Their Therapeutic Relevance -1	100	100	30	70	200	300	
4	Yoga Practices and Their Therapeutic Relevance -2	100	100	30	70	200	300	
5	Applied Aspects of Yoga Therapy	100	100	30	70	200	300	
	Total						1100	

(2) Executive Diploma in Nature Cure (E.D.N.C.)

(i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory Hours	Practical & Assignments Hours	Total Hours
1	History and Philosophy of Nisargopachara	150	-	150
2	Natural Therapeutics-1	150	250	400
3	Natural Therapeutics-2	150	250	400
4	Principles of Natural Therapy	150	-	150
5	Applied Aspects of Nisargopachara	150	250	400
	Total	750	750	1500

Sı	Subject	Theory	Practical Assessment				Grand
		Marks	Practical Marks	Journal/ Assignment/ Project Marks	Viva Marks	Total Marks	Total Marks

1	History and Philosophy of Nisargopachara	100	-	-	-	-	100
2	Natural Therapeutics-1	100	100	30	70	200	300
3	Natural Therapeutics-2	100	100	30	70	200	300
4	Principles of Natural Therapy	100	-	-	-	-	100
5	Applied Aspects of Nisargopachara	100	100	30	70	200	300
	Total						

- (3) Executive Diploma in Creative Arts Therapy (E.D.C.A.T.)
- (i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory Hours	Practical & Assignments Hours	Total Hours
1	Introduction and Philosophy of Creative Arts	150	-	150
2	Psychophysiology of Creative Arts	150	-	150
3	Applied aspects of Creative Arts	150	250	400
4	Application of Creative Arts Therapy-1	150	250	400
5	Application of Creative Arts Therapy-2	150	250	400
	Total	750	750	1500

Sn	Subject	Theory		Practical Assessn	nent		Grand
		Marks	Practical Marks	Journal/ Assignment/ Project Marks	Viva Marks	Total Marks	Total Marks
1	Introduction and Philosophy of Creative Arts	100	-	-	-	-	100
2	Psychophysiology of Creative Arts	100	-	-	-	-	100
3	Applied aspects of Creative Arts	100	100	30	70	200	300
4	Application of Creative Arts Therapy-1	100	100	30	70	200	300
5	Application of Creative Arts Therapy-2	100	100	30	70	200	300
		Total			ı	ı	1100

- (4) Executive Diploma in Ayurvedic Nutrition and Dietetics (E.D.A.N.D.)
- (i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory	Practical &	Total Hours
			Assignments	

		Hours	Hours	
1	Foundation of Health and Ayurveda	150	-	150
2	Fundamental knowledge of Nutrition	150	-	150
3	Ayurvedic Dietetics	150	250	400
4	Food Recipes and Preparations	150	250	400
5	Applied Aspects of Diet Therapy	150	250	400
	Total	750	750	1500

Sn	Subject	Theory		Practical Assessment				
		Marks	Practical Marks	Journal/ Assignment Marks	Viva Marks	Total Marks	Total Marks	
1	Foundation of Health and Ayurveda	100	-	-	-	-	100	
2	Fundamental knowledge of Nutrition	100	-	-	-	-	100	
3	Ayurvedic Dietetics	100	100	30	70	200	300	
4	Food Recipes and Preparations	100	100	30	70	200	300	
5	Applied Aspects of Diet Therapy	100	100	30	70	200	300	
	•	Tota	il			•	1100	

- (5) Executive Diploma in Wellness and Rehabilitation (E.D.W.R.)
- (i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory Hours	Practical & Assignments Hours	Total Hours
1	Concept and Philosophy of Wellness	150	-	150
2	Practices enhancing Wellness – 1	150	250	400
3	Practices enhancing Wellness – 2	150	250	400
4	Fundamental knowledge of Rehabilitation including Disability	150	-	150
5	Applied Aspects of Rehabilitation	150	250	400
	Total	750	750	1500

Sn	Subject	Theory		Grand			
		Marks	Practical Marks	Journal/ Assignment/ Project Marks	Viva Marks	Total Marks	Total Marks
1	Concept and Philosophy of Wellness	100	-	-	-	-	100
2	Practices enhancing Wellness – 1	100	100	30	70	200	300
3	Practices enhancing Wellness – 2	100	100	30	70	200	300

4	Fundamental knowledge of Rehabilitation including Disability	100	-	=	-	-	100
5	Applied Aspects of Rehabilitation	100	100	30	70	200	300
		Total	I				1100

(6) Executive Diploma in Mental Health and Psychotherapy (E.D.M.H.P.)

(i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory Hours	Practical & Assignments Hours	Total Hours
1	Fundamental knowledge of Manas and Psyche	150	-	150
2	Psychodynamics and Mental Health	150	-	150
3	Psychopathology and Psychiatric examination	150	250	400
4	Psychotherapy and counseling in Health and Disease	150	250	400
5	Mental disorders and their management	150	250	400
	Total	750	750	1500

(ii) Distribution of Marks

Sn	Subject	Theory		Practical Assessm	ent		Grand
			Practical	Journal/ Assignment/ Project	Viva	Total	Total
1	Fundamental knowledge of Manas and Psyche	100	-	30	70	100	100
2	Psychodynamics and Mental Health	100	-	30	70	100	100
3	Psychopathology and Psychiatric examination	100	100	30	70	200	300
4	Psychotherapy and counseling in Health and Disease	100	100	30	70	200	300
5	Mental disorders and their management	100	100	30	70	200	300
		Tota	il	•			1100

(7) Post Graduate Diploma in Yoga Education (P.G.D.Y.Ed.)

(i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory	Practical &	Total Hours

		Hours	Assignments	
			Hours	
1	History and Philosophy of Yoga	150	-	150
2	Yoga and Health	150	300	450
3	Yoga Practices	150	300	450
4	Yoga Teaching and Evaluation Techniques	150	300	450
5	Yoga and Allied Sciences	150	-	150
	Total	750	900	1650

Sn	Subject	Theory					Grand
		Marks	Practical Marks	Assignment/ Project Marks	Viva Marks	Total Marks	Total Marks
1	History and Philosophy of Yoga	100	-	-	-	-	100
2	Yoga and Health	100	100	30	70	200	300
3	Yoga Practices	100	100	30	70	200	300
4	Yoga Teaching and Evaluation Techniques	100	100	30	70	200	300
5	Yoga and Allied Sciences	100	-	-	-	-	100
	,	Total					1100

(8) Post Graduate Diploma in Natural Therapeutics (P.G.D.N.T.)

(i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory Hours	Practical & Assignments Hours	Total Hours
1	History and Philosophy of Nisargopachara	150	-	150
2	Fundamental knowledge of Anatomy and Physiology	150	250	400
3	Nisargopachara and Health	150	-	150
4	Natural Therapeutics – 1	150	250	400
5	Natural Therapeutics – 2	150	250	400
	Total		750	1500

Sn	Subject	Theory		Practical Assessment			
		Marks	Practical Marks	Assignment/ Project Marks	Viva Marks	Total Marks	Total Marks
1	History and Philosophy of Nisargopachara	100	-	-	-	-	100
2	Fundamental knowledge of Anatomy and Physiology	100	-	30	70	100	200

3	Nisargopachara and Health	100	=	-	-	-	100
4	Natural Therapeutics – 1	100	70	30	50	150	250
5	Natural Therapeutics – 2	100	70	30	50	150	250
Total						900	

- (9) Post Graduate Diploma in Creative Art Therapeutics (P.G.D.C.A.T.)
- (i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory Hours	Practical & Assignments Hours	Total Hours
1	Introduction and Philosophy of Creative Arts	150	-	150
2	Psychophysiology of Creative Arts	150	250	400
3	Creative Arts and Health	150	-	150
4	Principles and Practices of Creative Arts	150	250	400
5	Applied Aspects of Creative Art Therapeutics	150	250	400
	Total	750	750	1500

Sn	Subject	Theory			Grand		
		Marks -	Practical Marks	Journal/ Assignment/ Project Marks	Viva Marks	Total Marks	Total Marks
1	Introduction and Philosophy of Creative Arts	100	-	-	-	-	100
2	Psychophysiology of Creative Arts	100	50	30	20	100	200
3	Creative Arts and Health	100	-	-	-	-	100
4	Principles and Practices of Creative Arts	100	70	30	50	150	250
5	Applied Aspects of Creative Art Therapeutics	100	70	30	50	150	250
	Total						

- (10) Post Graduate Diploma in Ayurveda Aahara (P.G.D.A.A.)
- (i) Distribution of Teaching Hours

Sn	Subject	Theory Hours	Practical & Assignments Hours	Total Hours
1	Fundamental knowledge of Health and Ayurveda	150	-	150
2	Fundamental knowledge of Aahara and Poshana	150	250	400
3	Dietetics in Ayurveda	150	-	150
4	Aahara Samskara evam Kalpana	150	250	400
5	Applied Aspects of Diet	150	250	400

Total	750	750	1500

Sn	Subject	Theory	Practical Assessment				Grand
		Marks	Practical Marks	Journal/ Assignment/ Project Marks	Viva Marks	Total Marks	Total Marks
1	Fundamental knowledge of Health and Ayurveda	100	-	-	-	-	100
2	Fundamental knowledge of Aahara and Poshana	100	50	30	20	100	200
3	Dietetics in Ayurveda	100	-	-	-	-	100
4	Aahara Samskara evam Kalpana	100	70	30	50	150	250
5	Applied Aspects of Diet	100	70	30	50	150	250
	Total						900

- 10. Conduct of Examination.- (1) The examinations of the Executive Diploma and Post Graduate Diploma programmes shall be held at such times, in such places and commencing on such dates as the concerned authority of the Institute may appoint from time to time at the end of an academic year.
- (2) The examination shall consist of written papers and practicals including viva-voce according to the specifications provided in the concerned subjects.
- (3) All the theory and practical examinations of all programmes shall be conducted as per the patterns formulated by the competent authorities.
- (4) The policy of examination of students with disability shall be as per the concerned rules and regulations of the Institute.
- (5) The rules about Examination fees shall be applicable as per the Institutional norms existing at the time of admission to the given programme.
- (6) Unless otherwise specifically provided for, all examinations except practical and viva-voce shall be conducted by means of printed or written papers.
- (7) The misconduct of any student at any examination shall be treated as under-

Sr. No.	Unfair Means or Acts	Punishment
1)	Writing questions or answers or anything on any material other than answer book inside the examination hall.	Cancelling the result of respective subject
2)	Possession of material which is/are relevant to the subject of the–examination in examination hall such as: (a) Papers, books or notes; or (b) Written notes on any part of the clothes worn by the student or on any part of his/her body, or table or desk, or (c) Foot-rule and / or instruments like set-squares, protractors, slide rulers, etc. with notes written on them.	Disqualification from appearing in examinations for two exams
3)	Copying is found or established from answer-book or it is otherwise established that the student has: (a) Copied or taken help from any papers, books, note, answerbook or any other source in any manner during the examination	Disqualification from appearing in examinations for two exams

	or at any time thereafter; or	
	(b) Allowed another student to copy from his/ her answer-book; or	
	(c) Received help from or has helped another student; or	
	(d) Exchanged his/her answer-book or a part thereof with another student.	
4)	On passing or attempting to do so the question paper (or part thereof) outside the examination hall	Disqualification from appearing in examinations for two exams
5)	Destruction of incriminating material by swallowing, running away with it or causing its disappearance or by any other means.	Disqualification from appearing in examinations for three exams
6)	Smuggling in or out of an answer-book or replacing or getting it replaced after attempting answers (during or after the examination with or without the help or connivance of any person).	Disqualification from appearing in examinations for three exams
7)	Non delivery of answer-book to the supervisor or destroying the answer book.	Disqualification from appearing in examinations for two exams
8)	Serious misconduct in the examination hall or misbehavior with staff or using force or rowdyism with the staff appointed on exam duty inside or outside the examination hall.	Disqualification from appearing in examinations for two exams
9)	Disobedience, change of seat, misbehavior in or around examination hall or writing another student's seat number on the answer-book.	Disqualification from appearing in examinations for one exam
10)	Approaching examiner for raising marks or for writing the answer on blank pages.	Disqualification from appearing in examinations for three exams
11)	Impersonation–impersonator (who writes for another student) if is a student of this institute as well as impersonated student.	Permanently debarring the Applicant from institute.
12)	When answer-book contains	Cancelling the result of
	(a) Abusive or obscene or threatening language	respective subject
	(b) Appeal to the examiner and	
	(c) Distinctive mark to disclose the identity.	
13)	Admission to the examination on any kind of false representation in the application form.	Disqualification from appearing in examinations for one exam
14)	If the student is found talking or doing any other malpractice in the video footage/or keeping mobile phone/s or any other electronic gadgets in examination hall.	Disqualification from appearing in examinations for one or two exams

- (8) Any unfair means or acts in any examinations is held proved against student which are not mentioned in Sub-regulations (7), the Examination Disciplinary Action Committee appointed by the Director shall have power to decide the punishment as per the case of unfair means or acts by the student.
- (9) The authority shall have the power to exclude any student from any examination, on being satisfied that he is suffering from an infectious or contagious disease which can affect the health of other examinees.
- (10) If a student fails in either of the sub-heads of a subject which has written and practical examination, he shall have to reappear for that subject in both the sub-heads.
- (11) A student who has successfully cleared the examination of some subjects out of the total subjects of the concerned programme, both in theory as well as practical, as the case may be, but, has failed in some subjects, will need to reappear for only those subjects which he/ she has remained unsuccessful.
- (12) For a student undergoing the entire programme will be given 05 (five) trials to pass the final examination in 10 (ten) consecutive terms considering his first appearance as first trial.
- (13) After the completion of the 05 (five) trials where the Applicant remains unsuccessful in passing the examination, he shall be disqualified from the programme.
- (14) In order to be declared successful in the examination, a student of any programme will have to obtain at least fifty percentage marks in theory and practical separately in each subject as the case may be and no grace marks shall be admissible.
- (15) A student getting sixty percentage marks as aggregate, subject to passing in all subjects of the concerned programme, will be placed in First class; while a student securing seventy percentage or more on an aggregate, subject to passing in all subjects of the concerned programme, will be placed in distinction class.
- (16) Verification or Rechecking of the marks: Any student, who has appeared for either Executive Diploma or Post Graduate Diploma programme may apply for Verification or Rechecking of the marks of his answer book of the theory of the aggrieved subject depending upon the concerned rules of the Institute after the payment of due fees for the same.
- (17) Reassessment or Revaluation of the answer book: -Any student, who has appeared for either Executive Diploma or Post Graduate Diploma programme may apply for Verification or Rechecking of the marks of his/ her answer book of the theory of the aggrieved subject depending upon the concerned rules of the Institute after the payment of due fees for the same.
- (18) In any case where it is found that the result of an examination has been affected by an error, malpractice, fraud, improper conduct or other matter of whatsoever nature, it shall be competent for the authority to amend such result in such manner as shall be in accordance with the true position and to make such declaration as the competent authority shall, in its discretion consider necessary in that behalf.
- (19) In any case where the result of an examination has been ascertained and published and it is found that such result has been affected by any malpractice, fraud or any other improper conduct whereby an examinee has been benefited and that such examination has, in the opinion of the competent authority, been partly or privy to, or connived at such malpractice, fraud, improper conduct, the competent authority shall have power at any time, notwithstanding the issue of a certificate or the award of a prize or scholarship to amend the result of such examination and to make declaration as the competent authority shall consider necessary in that behalf.
- (20) Appointment of examiner: —All the practical examinations shall be conducted by 2 (Two) examiners out of which 1 (One) shall be an internal examiner and 1 (One) shall be an External examiner. Internal examiner shall be appointed from among the teachers of the concerned subject of the concerned programme where as the external examiner may be appointed from any other National or reputed Institution, conducting similar type of programmes and having 3 (Three) years or more of experience of teaching or practice of the given subject or skill.
- 11. Award of the Executive Diploma, Post Graduate Diploma and its purview.- (1) Student of *Executive Diploma*, who have completed the programme and has been declared successful in the final examination shall be awarded *Executive Diploma* certificate of the concerned specialty and shall be considered eligible to function as consultant, practice in concerned field for treatment of diseases in medical setups or independently.
- (2) Student of **Post Graduate Diploma**, who has completed the programme and has been declared successful in the final examination shall be awarded **Post Graduate Diploma** certificate of the concerned specialty and shall be able to apply the knowledge and skills for the benefit of self and seeking people through independent ventures or working in any organization as therapy assistant, health councilor, fitness trainer etc..
- 12. Fees schedule.- (1) The Student of Executive Diploma and Post Graduate Diploma programme shall need to pay various fees like Application form fee, Prospectus, Registration fee, Tuition fee, Caution money, Departmental library

- fee, Central library fee, I-Card fee, Enrollment fee, Medical examination fee, Library deposit fee, Board of sports fee as per the norms of the Institute and as amended from time to time.
- (2) Fees pertaining to Examination, Marksheet, Diploma Certificate, Transcript, Duplicate Marksheets, Duplicate Certificate etc. of all the programmes shall be as per the existing norms of the Institute.
- (3) A student needs to pay all the fees except Examination fee at the time of admission.
- (4) Expenditure and fees, if any, regarding tours, workshops, project works etc. shall be borne by the students.
- (5) Fees for the Foreign Nationals undergoing the Executive Diploma or Post Graduate Diploma Programmes shall be three times than that of the Indian students.
- 13. Miscellaneous.- (1) The Department of Swasthavritta may recommend making a change in the rules and regulations as and when such need arises and that change shall be placed before the concerned authorities for approval.
- (2) The Department of Swasthavritta may prepare and conduct short term certificate programme/s on similar lines of the Executive Diploma or Post Graduate Diploma programme as stated in these regulations or otherwise after due permission from the Director as and when required.
- (3) For any other matter, where the rules and regulations governing any programme are silent about, shall be dealt with according to the concerned rules and regulations of ITRA, Jamnagar existing at the time of commencement of the said programme and amended thereafter.
- 14. Discretionary powers of authority: The Director of the Institute has the final authority for any discrepancy in the interpretation of provisions of these regulations, and for reasons to be recorded in writing, may relax any provisions of these regulations with the approval or ratification of the Governing Body of Institute.

ANUP THAKAR, Director [ADVT.-III/4/Exty./079/2024-25]